

जीवाजी विश्वविद्यालय, गवलियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविद्या हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय

गवलियर

क्रमांक:एफ/डी.सी.डी.सी./2016/ 3589

दिनांक: 28-11-2016

प्रति,

समस्त अशासकीय महाविद्यालय

जीवाजी विश्वविद्यालय, गवलियर

विषय:- महाविद्यालयों के द्वारा शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को चैक के माध्यम से भुगतान करने बावत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि समस्त अशासकीय महाविद्यालय के द्वारा शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को वेतन भुगतान चैक के माध्यम से किया जाये मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देशित किया गया है कि भुगतान बैक के माध्यम से किया जाये एवं शासन के नियमों के अनुरूप अवकाश दिया जाये।

उक्त महाविद्यालयों के द्वारा यह निर्देश का पालन नहीं किया गया। तो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो कार्यवाही की जायेगी उसका जिम्मेदार स्वयं महाविद्यालय होगा।

भवदीय

डा. जयरेकट्ट,

महाविद्यालय विकास परिषद